

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

99 / 2011
13.04.2011

- 1-घासी पुत्र नारायण जाति माली निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0
- 2-मोती पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0
- 3-लखमा पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक राज0

..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपरिथत (1) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 01.08.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम महुवा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 334 में से 2700 वर्गमीटर एवं खसारा नम्बर 335 में से 900 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से 400 मीटर की परिधि की भूमि की डीएलसी दर एवं प्रार्थी की भूमि में चार नीम,दो खजूर एवं दो देसी बम्बूल के पेड़ लगे हुये का,चाही की दर से तथा भूमि आबादी के पास स्थित है का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवाई 1387,1388/09 दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग से 400 मीटर की परिधि की भूमि की दर से भूमि का एवं भूमि में चार नीम,दो खजूर एवं दो देसी बम्बूल के पेड़ लगे हुये का,चाही की दर से तथा आबादी के पास स्थिति भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवाई पत्रावली 1387,1388/09 दिनांक 06.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 334 में से 2700 वर्गमीटर एवं खसारा नम्बर 335 में से 900 वर्गमीटर वाके ग्राम महुवा में अवाप्ति की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के



- 779 -


आरबीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म चाही-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। तहसीलदार की सर्वे रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजीयात में वृक्ष इत्यादि नहीं थे। वादग्रस्त आराजीयात का न तो कोई संपरिवर्तन आदेश पेश किया है न ही उक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवाई जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब व बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवाई पत्रावली तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 334 में से 2700 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 335 में से 900 वर्गमीटर, किस्म जमीन चाही-1 वाके ग्राम महूवा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग से 400 मीटर की परिधि की भूमि का डी०एल०सी० दर से एवं भूमि में चार नीम, दो खजूर एवं दो देसी बम्बूल के लगे हुये पेड़ों का, आबादी के पास स्थित भूमि का तथा चाही की दर से मुआवजा चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से 400 मीटर की परिधि में भूमि होने बाबत एवं भूमि पर पेड़ होने, भूमि आबादी के पास स्थित होने बाबत कोई साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि का मुआवजा चाही की दर से भी चाहा गया है। अवाई पत्रावली में भूमि की किस्म चाही-1 दर्ज है, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को मुआवजा चाही की दर से ही दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (विनयी गोपाल)
 आरवीट्रेटर एन एच-12
 (जिला कलेक्टर)
 (जिला कलेक्टर)
 टोंक (राज.)